

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

CHANDIGARH, THURSDAY, MARCH 5, 2015 (PHALGUNA 14, 1936 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 5th March, 2015

No. 1-HLA of 2015/11.— The Haryana State Board of Technical Education (Amendment and Validation) Bill, 2015, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly:-

Bill No. 1-HLA of 2015

THE HARYANA STATE BOARD OF TECHNICAL EDUCATION (AMENDMENT AND VALIDATION) BILL, 2015

A

BILL

further to amend the Haryana State Board of Technical Education Act, 2008 and to validate certain actions taken and things done in connection therewith.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-sixth Year of the Republic of India as follows:—

(1) This Act may be called the Haryana State Board of Technical Short title and Education (Amendment and Validation) Act, 2015.

commencement.

(2) It shall be deemed to have come into force on the 6th May, 2008.

Price: Rs. 5.00 (491)

HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), MAR. 5, 2015 (PHGN. 14, 1936 SAKA)

Amendment of section (1) of Haryana Act 19 of 2008.

2. Sub-section (3) of section 1 of the Haryana State Board of Technical Education Act, 2008 (hereinafter called the principal Act) shall be omitted.

Insertion of Section 49 in Haryana Act 19 of 2008.

- 3. After section 48 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:—
- "49. Validation:— Notwithstanding that no notification was issued under sub-section (3) of section 1 of the principal Act for appointing a day for its enforcement, the principal Act shall be deemed to have come into force with effect from the 6th May, 2008 in view of amendment made by this Act and notwithstanding any judgment, decree or order of any court, tribunal or authority, all actions taken, things done, rules made, notifications issued under the said Act by the Government or the Board, shall be deemed to have been validly taken, done, made and issued under the principal Act, as if the Act was in force and shall not be called in question in any court, or before any authority on this ground."

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

1. The Haryana State Board of Technical Education Act, 2008 was constituted primarily for planning and coordinated development of Technical Education at Diploma Level. The Board is also responsible for the curriculum design, conduct of examinations and the award of diploma certificates for polytechnic students.

Since the establishment of Board, there has been an exponential growth in the number of technical institutions regulated by the Haryana State Board of Technical Education and the students registered with it. At present there are 25 Govt. Polytechnics, 04 Govt. Aided and 157 Private Polytechnics conducting diploma on regular basis and 35 Engineering Colleges in evening shift. The total sanctioned intake of diploma programmes is 71245.

To regulate large number of institutions and students, Board has framed affiliation byelaws, examination regulations and various committees such as Equivalency Committee, Academic Committee, Finance Committee and Unfair Means Committee have been constituted to discharge various functions enumerated under the Act.

2. As per sub-section (3) of section (1) of Haryana State Board of Technical Education Act, 2008, it shall come into force on such date as the Government may, by notification in the Official Gazette, appoint. Since, the Act could not be appointed therefore, to validate all the functions discharged by the Board during its course of working, the Act needs to be appointed from the date of its notification i.e. 6th May, 2008.

The proposed omission of sub-section (3) of section 1 of Haryana Act, 19 of 2008 and addition of new section 49 in Haryana Act, 19 of 2008 will validate all the functions discharged by the Board during its course of working. As per the proposed amendment, the HSBTE Act 19 of 2008 will deemed to be have come into force from 6th May, 2008.

RAM BILAS SHARMA, Technical Education Minister, Haryana.

Chandigarh: The 5th March, 2015.

RAJENDER KUMAR NANDAL, Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2015 का विधेयक संख्या 1-एच.एल.ए.

हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) विधेयक, 2015

हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2008 को आगे संशोधित करने के लिए तथा उसके सम्बन्ध में की गई कतिपय कार्यवाहियों तथा की गई बातों को विधिमान्य करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

- **1.** (1) यह अधिनियम हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2015 कहा जा सकता है।
 - (2) यह 6 मई, 2008 से लागू हुआ समझा जाएगा।

2008 के हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 1 का संशोधन। 2. हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2008 (जिसे, इसमें, इसके बाद मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 1 की उप धारा (3) का लोप कर दिया जाएगा।

2008 के हरियाणा अधिनियम 19 में धारा 49 का रखा जाना। 3. मूल अधिनियम की धारा 48 के बाद निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अथार्त्:--

"49. विधिमान्यकरण.—इसके होते हुए भी कि मूल अधिनियम की धारा 1 की उप धारा (3) के अधीन इसके प्रवर्तन के लिए दिन नियत करने हेतु कोई भी अधिसूचना जारी नहीं की गई थी, मूल अधिनियम इस अधिनियम द्वारा किए गए संशोधन को ध्यान में रखते हुए 6 मई, 2008 से लागू हुआ समझा जाएगा और किसी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी, सरकार या बोर्ड द्वारा उक्त अधिनियम के अधीन की गई सभी कार्यवाईयां, की गई बातें, बनाए गए नियम, जारी की गई अधिसूचनाएं, मूल अधिनियम के अधीन की गई कार्यवाईयां, की गई बातें, बनाए गए नियम तथा जारी की गई अधिसूचनाएं, इस प्रकार विधिमान्य समझी जाएंगी, मानो अधिनियम लागू था तथा इस आधार पर किसी न्यायालय में, या किसी प्राधिकरण के समक्ष प्रश्नगत नहीं की जाएंगी।"

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

1. हिरयाणा राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2008 का गठन मुख्यतः डिप्लोमा स्तर पर तकनीकी शिक्षा के लिए योजना बनाने और उसके समन्वित विकास के लिए किया गया था। यह बोर्ड बहुतकनीकी संस्थानों के विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम परिरूप, परीक्षा के संचालन तथा डिप्लोमा प्रमाण–पत्र प्रदान करने का भी उत्तरदायी है।

जब से बोर्ड की स्थापना हुई है तब से हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा विनियमित तकनीकी संस्थानों तथा इन संस्थानों में पंजीकृत छात्रों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है। वर्तमान में 25 राजकीय बहुतकनीकीयों 04 राजकीय अनुदान प्राप्त बहुतकनीकीयों तथा 157 निजी संस्थानों में नियमित आधार पर तथा 35 इन्जीनियरिंग कॉलेजों द्वारा सायंकालीन सत्र में डिप्लोमा आयोजित किया जा रहा है। डिप्लोमा कार्यक्रमों की कुल स्वीकृत प्रवेश संख्या 71245 है।

भारी संख्या में संस्थानों और विद्यार्थियों को विनियमित करने के लिए बोर्ड ने इस अधिनियम के तहत सम्बंद्धता उपनियम, परीक्षा विनियम बनाये हैं तथा विभिन्न समितियाँ जैसे कि समता समिति / शैक्षिक समिति / वित्त समिति / अनुचित साधन समिति का विभिन्न प्रगणित कार्यों का निर्वहन करने के लिए गठन किया गया है।

2. हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2008 की धारा (1) की उपधारा (3) के अनुसार जब सरकार इसे अधिसूचना के रूप में सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियुक्त करेगी तब यह अधिनियम उस तिथि से लागू होगा। लेकिन अधिनियम लागू करने की तिथि नियुक्त नहीं की जा सकी, इसलिए बोर्ड द्वारा इस अवधि में निर्विदत किये गये विभिन्न कार्यों को मान्य करने हेतु अधिनियम को इसकी अधिसूचना की तिथि दिनांक 06 मई, 2008 से नियुक्त किये जाने की आवश्यकता है।

हरियाणा अधिनियम 19, 2008 की धारा (1) की उपधारा (3) को हटाने के प्रस्ताव से और अधिनियम 19, 2008 में नई धारा 49 को सम्मिलित करने से बोर्ड द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान किये गये सभी कार्य वैध हो जायेंगे। प्रस्तावित संशोधन के अनुसार हरियाणा तकनीकी शिक्षा बोर्ड अधिनियम 19, 2008 को 06 मई, 2008 से लागू हुआ समझा जायेगा।

	राम बिलास शर्मा, तकनीकी शिक्षा मंत्री, हरियाणा।
	
चण्डीगढ़ :	राजेन्द्र कुमार नांदल,
दिनांक ५ मार्च, २०१५.	सचिव।

53134-H.V.S.-H.G.P., Chd.